FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

11/2/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उपस्थित। मौका रिपोर्ट तामील से पूर्व मे प्राप्त हो चुकी जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी ने 31.1.22 नि 4 पेश किया जो शामिल पत्रावली एवं समन जारी हो। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक / बहस दि. 18.2.2021 को पेश हो।

18/2/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली वास्ते सं. शीर्षक / बहस दि. 24.3.21 को पेश हो।

24/3/21 पत्रावली पेश हुई। ... P.O. ... पत्रावली
दिनांक 5.5.21 को वास्ते सं. शीर्षक / बहस
उप खण्ड अधिकारी

5/5/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली
दिनांक 16.6.21 को वास्ते सं. शीर्षक पेश हो।
बहस
उप खण्ड अधिकारी

16/6/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली
दिनांक 21.7.21 को वास्ते सं. शीर्षक / पेश हो।
बहस
उप खण्ड अधिकारी

21/7/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली
दिनांक 1.9.21 को वास्ते सं. शीर्षक पेश हो।
बहस
उप खण्ड अधिकारी

प्रकरण जांच 1/9 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / ...
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली
दिनांक ________ को वास्ते सं. शीर्षक / पेश हो।
बहस
उप खण्ड अधिकारी

6/10/2021 पत्रावली आज दिनांक 6.10.2021 को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में पेश हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों ने राजीनामे हेतु सहमती पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

अतः प्रार्थना-पत्र धारा 251A स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रभारी अधिकारी
... 2021
प्रशा.
(उपखण्ड अधिकारी)
... (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला ...

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 15.12.2020

प्रार्थनापत्र संख्या :– 77 / 2021

अनवान

सूरजमल पिता भवानीशंकर जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....प्रार्थी

बनाम

01 प्रकाशचन्द्र पिता भंवरलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

02 वनमाला पत्नी लाभचन्द महाजन उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

03 शकुन्तला पत्नी ऋषभ जाति जैन उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

3/1 ऋषभ पुत्र प्रभुलाल जाति जैन उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

3/2 शुभम पुत्र ऋषभ जाति जैन उम्र नाबालिग मार्फत पिता ऋषभ पुत्र प्रभुलाल जाति जैन निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

04 भूमिधारी राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

......................अप्रार्थीगण / विपक्षीगण

1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02

उपस्थित :– प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 06 / 10 / 2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम आरोली प0ह0 आरोली की आराजी संख्या 901 रकबा 11 बिस्वां, आराजी संख्या 902 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 903 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 904 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वां, आराजी संख्या 905 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 1074/905 रकबा 10 बिस्वां कुल किता 6 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वां भूमि पर पैदल आने जाने, सजबेल, बैलगाडी लाने ले जाने, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता आराजी संख्या 978/23, 968 व आराजी संख्या 900 की पश्चिमी मेरो से रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंचता है। प्रार्थी रास्ते हेतु बनने वाले मुवावजे का भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज फरमाया जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी ग्राम आरोली सम्वत् 2073 से 2076 प्रस्तुत की है।

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/राजस्व/2021/91 दिनांक 22.01.2021 से अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा ग्राम आरोली प0ह0 आरोली की आराजी संख्या 901 रकबा 11 बिस्वां, आराजी संख्या 902 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 903 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वां, आराजी संख्या 904 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वां, आराजी संख्या 905 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 1074/905 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वां भूमि पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 978/1 रास्ता से आराजी संख्या 978/23 के पश्चिमी मेड़ से होते हुए आराजी संख्या 1015/966 की दक्षिणी मेड़ से लगकर आराजी नम्बर 968 की पश्चिमी मेड़ में होते हुए आराजी संख्या 900 की पश्चिमी मेड़ से होते हुए प्रार्थी की आराजी 905 मे पहुंचा जा सकता है। जहां से प्रार्थी अपनी सभी आराजी मे आ जा सकता है। उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 978/23 (बिलानाम) मे से 0–05 बीघा, आराजी नम्बर 968 में से 0–12 बीघा, आराजी नम्बर 900 में से 0–04 बीघा भूमि कुल किता 3 रकबा 1–01 बीघा (0.1700 हेक्टेयर) भूमि रास्ते हेतु उपयोग मे आयेगी।

लगातार पेज संख्या 02 पर

पंजीयन शाखा से ली गई रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. 54770/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की मालियत 57509/– रूपये का दुगुना 115018/– राशि बनते हैं।

प्रशासन गावों के संग अभियान – 2021 केम्प ग्राम पंचायत आरोली दिनांक 06.10.2021 को प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया एवं विपक्षीगण द्वारा रास्ते हेतु नियमानुसार डीएलसी दर से राशि प्राप्त कर रास्ता देने हेतु सहमति जाहिर की। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया।

तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट एवं रास्ते हेतु विपक्षीगण की सहमति के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आरोली प0ह0 आरोली में रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आरोली प0ह0 आरोली की आराजी संख्या 901 रकबा 11 बिस्वां, आराजी संख्या 902 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 903 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वां, आराजी संख्या 904 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वां, आराजी संख्या 905 रकबा 3 बीघा, आराजी संख्या 1074/905 रकबा 10 बिस्वां कुल किता 6 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वां भूमि पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 978/1 रास्ता से आराजी संख्या 978/23 के पश्चिमी मेड़ से होते हुए आराजी नम्बर 968 की पश्चिमी मेड़ में होते हुए आराजी संख्या 900 की पश्चिमी मेड़ से होते हुए प्रार्थी की आराजी 905 में पहुंचा जा सकता हैं। जहा से प्रार्थी अपनी सभी आराजी में आ जा सकता है। उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 978/23 (बिलानाम) में से 0–05 बीघा, आराजी नम्बर 968 में से 0–12 बीघा, आराजी नम्बर 900 में से 0–04 बीघा भूमि कुल किता 3 रकबा 1–01 बीघा (0.1700 हैक्टेयर) भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। भूमि की डी.एल.सी. 54770/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की मालियत 57509/– रूपये का दुगुना 115018/– राशि बनते हैं। जो बतौर मुहावजा विपक्षीगण को भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि विपक्षीगण को भुगतान करने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 06/10/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गांवों संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

प्रशासन गांवों संग अभियान-2021